झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

पत्रांक - परी/प्रौ0/6284/18/CC-04/22 दिनांक - 07-02-2022

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में राज्य के दिव्यांग छात्र/छात्राओं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (Children with Special Needs), को प्रदान की जानेवाली सुविधाओं से संबंधित निर्देशिका

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के परीक्षा बोर्ड (दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा) में दिव्यांग छात्रों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 की धारा 17 में अंकित प्रावधान के आलोक में सुविधा प्रदान करने का निदेश दिया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 की धारा 17 में दिव्यांग छात्र/छात्राओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में संशोधन करने यथा- दिव्यांग छात्र/छात्राओं के परीक्षा को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, Scribe या Amanuensis की व्यवस्था, दूसरी एवं तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों में छूट, आदि का प्रावधान है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा प्रारम्भ से ही दिव्यांग छात्र/छात्राओं के सहायतार्थ सुविधाएँ प्रदान की जाती रही है।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा दिव्यांग (CwSN) छात्र/छात्राओं को माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में दिए जाने वाले सुविधाओं से संबंधित निर्देशिका निम्नवत् रुप से अंकित की जा रही है :-

क्र0 सं0	दिव्यांगजनों को विभिन्न स्तर पर दिए जाने वाले सुविधाओं की श्रेणी	दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाएँ
01.	परीक्षा की समय-सारिणी से संबंधित सुविधाएँ	जिन दिव्यांग छात्र/छात्राओं द्वारा श्रुतिलेखक (Scribe), पाठक (Reader) या प्रयोगशाला सहायक (Lab assistant) को प्रतिपूरक समय के रुप में 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से दिए जाने का प्रावधान होगा।
02.		परीक्षार्थी यदि चाहें तो, दिए गए अतिरिक्त समय का उपयोग Rest break के रुप में कर सकते हैं।
03.		परीक्षार्थी यदि किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके या अनुत्तीर्ण हो गये हों, तो उन्हें अपनी परीक्षा पूरा करने के लिए सम्पूरक परीक्षा में बैठने का प्रावधान दिया जाता है।
04.	परीक्षा के समय दिए जानेवाले निर्देश/उपकरण से संबंधित सुविधाएँ	दृष्टिबाधित छात्र/छात्रा के लिए केन्द्राधीक्षक यदि यह महसूस करते हैं कि परीक्षार्थी को magnifying glass की आवश्यकता है, तो वे इसके उपयोग करने की अनुमति देंगे।

05.		दिव्यांग बच्चों के कुछ श्रेणियों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरुप वैकल्पिक प्रश्न पत्र की उपलब्धता होगी। दिव्यांगता की श्रेणी- बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual disability), विशिष्ट अधिगम अक्षमता (Learning disability), मानसिक रुग्णता (Mental illness), स्वापरायणता (Autism)।
06.		परीक्षा कक्ष में दिए गए मौखिक निदेश को Black board में लिखित रुप में प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाएगा।
07.		दिव्यांग अभ्यर्थी के आवश्यकतानुसार प्रश्न पत्र को वैकल्पिक प्रारुप में प्रदान किया जाएगा। उदाहरणस्वरुप- अल्प दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रश्नपत्रों को बड़े आकार के शब्दों में (न्यूनतम 24Pt. Font size में) चित्रों के साथ प्रिंट और ब्रेल में मुद्रित होगा।
08.		दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के लिए चिकित्सक द्वारा परामर्शित चश्मा/रंगीन शीशा (Tinted glass/Coloured overlays) का उपयोग करने की अनुमति होगी।
09.		मूक-बाधिर छात्र/छात्राओं के लिए यदि चिकित्सक द्वारा शोर कम करने के लिए headphone परामर्श किया गया है तो परीक्षा में इसके उपयोग करने की अनुमति होगी।
10.		जिन बच्चों को रंग दृष्टिबाधिता (Colour blindness) हो, उनको रंगों को पहचान कर प्रश्नों के उत्तर देने में ऐसे प्रश्नों में छूट प्रदान करना।
11.		सांकेतिक भाषा द्विभाषीय (Sign language interpreters) की सुविधा प्रदान की जाएगी।
12.		वैसे दिव्यांग छात्र/छात्रा, जो Writer की सुविधा नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रश्नपत्र को सिर्फ पढ़ने के लिए एक पाठक के उपयोग की अनुमति है।
13.		अल्पदृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं को sketch pens; Tactile geometry kit के उपयोग की भी अनुमति है।
14.		दिव्यांगता की कुछ श्रेणियों के लिए संशोधित उत्तरपुस्तिका होगा। जैसे- Autistic एवं Cerebral palsy वाले बच्चों के लिए मोटे कागज वाले उत्तरपुस्तिका का उपयोग।
15.	परीक्षा में दिव्यांग छात्र/छात्राओं को उत्तरपुस्तिका लिखने के संबंध में मिलने वाली सुविधाएँ	कुछ श्रेणी के दिव्यांग बच्चों को Computer के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है एवं इसके उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध है।
16.		दिव्यांग के कुछ श्रेणी के परीक्षार्थियों को Diagram एवं Map बनाने में छूट होती है।
17.		दृष्टिबाधित (अल्प एवं पूर्ण) बच्चों को Abacus, Geometric tools और Taylor frame की अनुमति है।
18.		अल्प एवं पूर्ण दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं को Calculator/Talking calculator के उपयोग की

		अनुमति है। यह सुविधा सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों में दी जा सकती है, जिसमें सभी परीक्षार्थियों को Calculator के उपयोग की अनुमति हो।
19.		दृष्टिबाधित (अल्प एवं पूर्ण) बच्चों को विशेष परिस्थिति में Abacus, Geometric tools और Taylor frame की अनुमति है।
20.		दैनिक क्रियाकलाप में उपयोग किए जाने वाले Assistive device (सहायक उपकरण) के उपयोग की अनुमति है।
21.		दिव्यांगता की कुछ श्रेणी के प्रायोगिक परीक्षा के स्थान पर Viva/MCQ's का प्रयोग करते हुए परीक्षा सम्पादित किया जाएगा।
22.		वैसे परीक्षार्थी, जो श्रवणबाधित/मूकबधिर तथा वाक् एवं भाषा दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए मौखिक परीक्षा के बदले वैकल्पिक पद्धति के द्वारा परीक्षा सम्पादित किया जाएगा।
23.		दिव्यांग छात्र/छात्राओं को उनके दिव्यांगता के अनुरुप परीक्षा में विशेष छूट होगी।
24.		दिव्यांग छात्र/छात्राओं के सहायतार्थ एक Scriber देने का प्रावधान है। Scriber परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाएगा एवं वह परीक्षार्थी से निम्न कक्षा का विद्यार्थी होगा।
25.		दिव्यांग छात्र/छात्राओं के सुविधा के लिए नियुक्त Scriber प्रश्न पत्र को पढ़ कर संबंधित छात्र/छात्रा को समझा सकता है। Scriber का उपयोग मात्र वाचक के रुप में भी किया जा सकता है।
26.		दिव्यांग छात्र/छात्राओं को उनके आवश्यकता के अनुसार Lab assistant/Practical assistant की सुविधा प्रदान किया जाएगा।
27.		चिकित्सीय परामर्श के आलोक में दिव्यांग छात्र/छात्राओं को Care assistant, Prompter, Communicator, आदि की सुविधा प्रदान किया जाएगा।
28.		उत्तरपुस्तिका के मुख पृष्ठ पर एक कॉलम दिव्यांग की कोटि भरने के लिए मुद्रित है, जिसे दिव्यांग छात्रों को भरना अनिवार्य होगा।
29.	दिव्यांग छात्र/छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने या कक्ष में बैठने से संबंधित मिलने वाली सुविधाएँ	दिव्यांग छात्र/छात्राओं की सुविधा के लिए यह आवश्यक होगा कि उनका परीक्षा केन्द्र सुलभ स्थान पर बनाया जाय। परीक्षा केन्द्र निर्माण के समय इस बात का ध्यान जिला स्तर पर रखना आवश्यक होगा।
30.		केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि दिव्यांग छात्र/छात्राओं को अलग कक्ष, खास प्रकार के टेबल या कुर्सी की सुविधा प्रदान किया जाय।

31.		यदि किसी दिव्यांग छात्र/छात्रा को गम्भीर समस्या हैं और वह परीक्षा केन्द्र आने में असमर्थ है तो जिला प्रशासन की देख-रेख में परीक्षा अस्पताल में भी विशेष परिस्थिति में आयोजित होगी। परीक्षा के आयोजन, गोपनीयता एवं स्वच्छता की सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी।
32.		जिला शिक्षा पदाधिकारी यदि आवश्यक समझे तो, दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए किसी अन्य दिव्यांग विद्यालय के शिक्षक को वीक्षक के रुप में नियुक्ति कर सकते हैं।
33.		केन्द्राधीक्षक यदि आवश्यक समझे तो, दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए परीक्षा कक्ष में अभिरक्षक को जाने की अनुमति दे सकते हैं।
34.	अन्य सुविधाएँ (विषय परिवर्तन/परीक्षा या पंजीयन/ग्रेस अंक प्रदान करने से संबंधित)	दिव्यांग छात्रों के लिए मिलने वाली सुविधाएँ या Scriber के संबंध में विस्तृत निदेश परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त के आलोक में लेखक की नियुक्ति कर दिव्यांग छात्र/छात्राओं को सुविधा प्रदान की जाएगी।
35.		दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य विषय में परिवर्तन की छूट/बदलाव की सुविधा दी गई है। इसमें छात्र/छात्रा अपनी सुविधानुसार विषय का चयन कर सकते हैं।
36.		दिव्यांग छात्रों की उत्तरपुस्तिकाओं की पैकेटिंग अलग से की जाएगी, जिससे उसे सीधे परिषद् कार्यालय में मंगाया जा सके।
37.		दिव्यांग छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए एक विषय में 10% या दो विषयों में 5-5% का ग्रेस अंक प्रदान किया जाएगा।
38.		दिव्यांग छात्रों के उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के समय परीक्षक को ऐसा निर्देश दिया जाएगा कि उनके व्याकरण संबंधी त्रुटि को विलोपित माना जाय। ब्रेल लिपि में भी की गई त्रुटि को नजरअंदाज किया जा सकेगा।
39.		नियमित दिव्यांग छात्र/छात्राओं की वर्गकक्ष में उपस्थिति कम रहने की स्थिति में (कम से कम 45%) यदि विद्यालय/ महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य यदि यह समझते हैं कि छात्र/छात्रा परीक्षा में बैठने की योग्यता रखता है तो उनका परीक्षा आवेदन प्रपत्र अग्रसारित किया जा सकता है। स्वतंत्र छात्र/छात्रा के लिए उपस्थिति की बाध्यता नहीं रहेगी।
40.		दिव्यांग छात्रों को पंजीयन या परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
41.		दिव्यांग छात्र/छात्राएँ परीक्षा में Regular/ Private candidate के रुप में सम्मिलित होंगे।

42.		दिव्यांग छात्र/छात्राओं के परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकतम उम्र–सीमा का निर्धारण नहीं है। वे किसी भी उम्र (न्यूनतम उम्र 14 वर्ष) में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य, परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक एवं संबंधित छात्र/छात्रा तथा उनके अभिभावक को सूचनार्थ कि जिला प्रशासन/जिला शिक्षा पदाधिकारी/केन्द्राधीक्षक से सम्पर्क स्थापित कर उपर्युक्त सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

07.02.2022

अध्यक्ष
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।